JOURNAL OF LEGAL STUDIES, POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.JLPER.com

Published by iSaRa Solutions

हिंदू कोड बिल विधायी चर्चा: तात्कालिक सांमती मानसिकता का परिचय

मंजू

एसोसिएट प्रोफेसर

दयाल सिंह संध्या कॉलेज

दिल्ली दिल्ली

हिंदू महिला संपत्ति अधिकार कानून 1937, राऊ समिति का (हिंदू लॉ समिति) गठन 1941 (जिसका उद्देश्य हिंदू विधि का संपूर्ण संहिताकरण करना था), राऊ समिति द्वारा बनाये गये ड्राफ्ट ड्राफ्ट को (जिसमें विवाह व उत्तराधिकार बिल को तत्कालिक असेम्बली में प्रस्तुत किया गया) तथा संयुक्त समिति द्वारा जनता के समक्ष उनकी राय जानने के लिये भेजना, मार्च 1943-अप्रैल 1944 को प्रारंभिक मसौदे पर वाद-विवाद, 1945 में तैयार ड्राफ्ट का अनुवाद करके भिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय जानने का प्रयास, सहित लम्बी वैधानिक प्रक्रिया के बाद 11 नवंबर 1947 को इस बिल को पहली बार लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, 9 अप्रैल 1948 को चयन समिति के समक्ष भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट 29 अगस्त 1948 को लोकसभा के सामने आई इसमें मात्र प्रस्ताव रखने का प्रयास किया गया। 1948 फरवरी के महीने में चार दिन, मार्च के महीने में एक दिन, अप्रैल 1948 के महीने में दो दिन, दिसम्बर 1949 को एक दिन, 19 दिसम्बर 1949 को लोकसभा में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। 1950 के समूचे वर्ष में इस बिल को कोई समय नहीं दिया गया। 5, 6, 7 फरवरी 1951 को 3 दिन तक विचार करने के बाद इसे ऐसे ही छोड दिया गया। जिसे बाद में अलग-अलग विधेयकों के रूप में पारित किया गया।

इस घटनाक्रमों से यह पता चलता है कि लगभग नौ वर्षों की लंबी अवधि के संघर्ष के बाद भी वह परिणाम प्राप्त नहीं हुआ था, जिसकी परिकल्पना तत्कालिन विधि विभाग ने की थी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन कानूनी सुधारों से मिलते-जुलते सुधार ब्रिटिश काल में भी शुरू किये जा चुके थे, जिसे शत प्रतिशत सामाजिक मान्यता शायद तब भी नहीं मिली थी। जैसे,

सति प्रथा निषेध (1829), हिन्दु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856), भारतीय दंड संहिता द्वारा बहुविवाह पर रोक (1860) नेटिव कन्वर्ट मैरजि डिसोल्यूशन ऐक्ट (1866) जिसमें हिंदू से क्रिश्चन बने व्यक्तियों के विवाह-विच्छेद का प्रावधान, विशेष विवाह अधिनियम (स्पेशल मैरीज ऐक्ट) (1872), इंडियन डायर्वोस ऐक्ट (1869), लगाया गया कानून जिसमें 8 वर्ष से कम

उम्र की लड़की से विवाह करने पर सजा तथा यदि पुरुष की आयु 50 से ऊपर है तो वह 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की से विवाह करने पर दंड का भागी होगा) आनंद मैरिज ऐक्ट (1909) जो सिक्ख समुदाय पर लागू था, स्पेशल मैरीज ऐक्ट (1872) जिसमें अन्तधार्मिक विवाह को कानूनी ठहराया गया था (जिसमें हिंदू बौद्ध, सिक्ख, जैन आपस में विवाह कर सकते थे), चाइल्ड मैरीज रेसट्रेन्ट ऐक्ट (1929), आर्य मैरीज वेल्डेशन ऐक्ट (1937) जिसमें अन्तर्जातीए विवाह को मान्यता प्रदान की गई थी, हिंदू मैरीज डिसेबिलिटी रिमूवल ऐक्ट (1946) जिमसें उपजातीयों में तथा समान गौत्र व पर्व में मान्यता दी गई, हिंदू मैरीड वूमन्स राइट टू सैप्रेट रेजिडेन्स एण्ड मेन्टेनेन्स ऐक्ट (1946), हिंदू मैरीज वेलिडिटी ऐक्ट (1949) जिसमें अन्तधार्मिक विवाह को मान्यता दी गई। पं० ठाकुर दास भार्गव ने साधारण प्रस्ताव हिंदू मैरीज वैलिडिटी बिल को प्रस्तुत करते हुए कहा कि- भारत के भिन्न-भिन्न प्रांतों में विवाह भिन्न-भिन्न रीति-रिवाजों व परंपराओं के आधार पर होते हैं, जिनमें से कुछ मान्य हैं, कुछ नहीं। कुछ नौजवान युवक युवतियां अपनी जाति से बाहर विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि यदि अलग-अलग जातियों के स्त्री पुरुष आपस में विवाह करेंगे, तो जातीय भेदभाव को सकारात्मक रूप से हटाया जा सकेगा।

श्री देशबंधु गुप्ता ने बिल को अपना समर्थन देते हुए जल्द से जल्द पास करवाने तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने की बात कही, उन्होंने कहा कि डॉ० अंबेडकर इस बिल को उसी सत्र में पास करवाना चाहते थे जिसमें कई विवादित उपभाग भी शामिल थे।

18 फरवरी 1949 के बाद 24 फरवरी 1949 को संवैधानिक सभा में पुनः हिंदू कोड पर चर्चा हुई।

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही, पुनः सदस्य इसका विरोध करने लगे, जिस पर अध्यक्ष महोदय ने इसका हस्तक्षेप करते हुए बताया कि यह सभा इस बिल पर चर्चा करने व कानून बनाने के लिए पूर्णतः सक्षम है।

श्री वी.एन. सारस्वत ने कहा कि स्वतंत्रता पश्चात् इसे पुनः प्रकाशित किया जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत यही है कि प्रभावित लोगों को उनके लिए बनाये जाने वाले कानून से पूर्णतः अवगत करवाया जाए।

श्री सारस्वत के जवाब में डॉ० अंबेडकर ने कहा कि पहले तीन बार यह जनमत के समक्ष रख चुका है अतः अब चौथी बार रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसके बाद डॉ० अंबेडकर ने बताया कि जब कोई प्रस्ताव चयन समिति के विचारार्थ भेजा जाता है, तो यह चयन समिति के अध्यक्ष का कर्त्तव्य है कि वह समिति द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों की तरफ ध्यान दिलाये।

डॉ० अंबेडकर ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि महोदय, बिल का पहला भाग विवाह व विवाह-विच्छेद से संबंध रखता है, जिसमें चयन समिति ने दो और उपभाग जोड़े- (1) वैवाहिक संबंधों की पुर्नस्थापना तथा (2) न्यायिक पृथक्करण। ये दोनों प्रावधान प्रारंभिक बिल में मौजूद नहीं थे। इंडियन डायर्वोस एक्ट 1869 में इन दोनों प्रावधानों का वर्णन था। अत: चयन समिति ने महसूस किया कि चूँकि हिंदू कोड में पूरी हिंदू विधि का संहिताकरण किया जा रहा था, अत: इस भाग को छोड़ना उचित नहीं था।

दत्तक ग्रहण (अडोप्शन) के प्रावधानों में भी चयन समिति ने कुछ परिवर्तन (संशोधन) किये। उदाहरण के लिए, पिता यदि धर्म-परिवर्तन करता है तो वह दत्तक ग्रहण नहीं कर सकता, बल्कि उसकी जगह माँ को दत्तक ग्रहण का अधिकार दिया गया। अर्थात् हिंदू धर्म से किसी अन्य धर्म में परिवर्तन दत्तक ग्रहण के लिये अयोग्यता की पात्रता होनी थी। इसी प्रकार एक विधवा को भी गोद लेने का अधिकार दिया गया, अर्थात् पति की मृत्यु होने पर, विधवा स्त्री गोद लेकर माता बन सकती थी इसी के साथ एक अयोग्यता यह रखी गई कि यदि विधवा स्त्री हिंदू धर्म से किसी अन्य धर्म को अपनाएगी, तो वह अपना यह (दत्तक ग्रहण) अधिकार खो देगी।

अल्पवयस्क व संरक्षकता के संबंध में चयन समिति ने दो परिवर्तन किये। पहला-हिंदू पिता यदि धर्म परिवर्तन करे अथवा संन्यासी हो जाए तो उसे अपने अल्पवयस्क पुत्र पर अधिकार नहीं होगा एक पिता तब तक प्राकृतिक पिता रहेगा जब तक वह हिंदू रहेगा। उत्तराधिकार की संख्या को भी कम किया गया तथा अन्य व्यक्तियों जैसे ब्रह्मचारी गुरु को उत्तराधिकारियों की श्रेणी से हटा दिया गया है।

उत्तराधिकारियों की श्रेणी में काँट-छाँट कर एक व्यक्ति को उत्तराधिकारी बनाने का अधिकार दिया गया।

विधवाओं की अपात्रता को परिभाषित करते हुए व्यवस्था की गई कि यदि कोई विधवा स्त्री पुनर्विवाह कर लेती है, तो वह उत्तराधिकारी नहीं होगी।

प्रारंभिक बिल में बेटी को बेटे के बराबर भाग दिया गया था, तथा स्त्रीधन में पुत्र को पुत्री के बराबर भाग दिया गया था; लेकिन चयन समिति ने पति को भी पत्नी के स्त्रीधन में भागी बना दिया।

भरण-पोषण से संबंधित भाग में कोई परिवर्तन नहीं किया गया लेकिन संयुक्त परिवार से संबंधित नये प्रावधानों को चयन समिति ने जोड़ा। मिताक्षरा में मौजूद संयुक्त परिवार से संबंधित

नियमों को ही शामिल किया। दो नये उपभाग (88) व (89) जोड़े गए। इन्हें जिस राऊ समिति ने अपने बिल में रखा था तथा सदन के सामने प्रस्तुत भी किया गया था।

मिताक्षरा के सिद्धांतों के अन्तर्गत प्रत्येक सहदायिक, जिसे उत्तरजीविता के अन्तर्गत संपत्ति प्राप्त हुई है, संयुक्त परिवार के सिद्धांतों से बंधा होगा। अतः मिताक्षरा के नियमों को यहाँ अभिव्यक्त किया गया है (जिसे पटना हाईकोर्ट व बम्बई हाई कोर्ट ने भी मजबूती से रखा था) ताकि यदि कोई न्यायिक-पृथक्करण का मामला आता है, तो किसी प्रकार का विवाद न हो।

जातीय निषेध के संबंध में, बिल में प्रावधान किया गया कि यदि कोई रूढ़िवादी व्यक्ति अपनी पुरानी परंपराओं में विश्वास रखते हुए अपने ही वर्ण, जाति या उपजाति में विवाह करना चाहता है, तो वह कर सकता है। उसे ऐसा करने की कोई मनाही नहीं होगी, लेकिन यदि कोई सुधारवादी या प्रगतिशील व्यक्ति जो वर्ण, जाति या उपजाति में विश्वास नहीं रखता तथा अपनी जाति व उपजाति के बाहर विवाह करना चाहता है तो वह कर सकता है, इस कोड में ऐसे विवाह को वैधिक ठहराते हुए मान्यता प्रदान की गई। श्रीमति सुचेता कृपलानी ने कई तर्क देते हुए बिल का समर्थन किया।

एकलविवाह के संदर्भ में डॉ० अंबेडकर ने यह स्वीकार किया कि हिंदू पुरुषों के पास हमेशा से ही बहुविवाह का अधिकार रहा है। जैसे, दक्षिण भारत में नट्टूकोय्यकी चेट्टियार समाज में पति पत्नी से सहमति लेकर दूसरा विवाह कर सकता है। इस दूसरे विवाह के बदले पति अपनी पहली पत्नी को कुछ संपत्ति देता है, जिसे तमिल भाषा में मोपू कहा जाता है। यह मोपू उस स्त्री की पूर्ण संपत्ति मानी जाती है। यदि वह पति अपनी पत्नी से किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है, तो पत्नी अपनी संपत्ति का अपनी इच्छा से प्रयोग कर सकती है। अतः अंबेडकर की दृष्टि में यह केवल भ्रम मात्र है कि पुरुषों को बहुलविवाह का अधिकार अक्षम है।

डॉ० अंबेडकर की दृटि में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पुरुष द्वारा दूसरे विवाह को कई अर्थों में सीमित करने का प्रयास किया गया, जैसे कोई हिंदू पुरुष विवाह के दस या बारह वर्षों तक दूसरा विवाह नहीं कर सकता था, जब तक कि इस बात से सन्तुष्ट नहीं हो जाए कि पहली पत्नी सन्तानोत्पत्ति में सक्षम नहीं है। पहले विवाह के समय प्राप्त किए गए स्त्रीधन को लौटाना भी पुरुष के लिए आवश्यक था।

डॉ० अंबेडकर ने विभिन्न प्रान्तीय परम्पराओं में एकल विवाह का उल्लेख करते हुए कहा कि मरूमखथयम और अलियासनतानम के अन्तर्गत एकलविवाह को ही मान्यता दी गई। साथ ही बम्बई, मद्रास व बड़ौदा प्रांतों द्वारा भी एकलविवाह कानूनों को मान्यता दी गई।

दत्तक ग्रहण से संबंधित तीन विवादित मुद्दों के लिए डॉ० अंबेडकर का तर्क था कि पुराने नियमों की तरह दत्तक ग्रहण को जाति से नहीं जोड़ा गया था (अर्थात् पहले वैध दत्तक ग्रहण के लिये समान जाति का होना आवश्यक था)। यदि एक ब्राह्मण प्रबुद्धतावश किसी शुद्र बालक को गोद लेना चाहता है तो वह ले सकता है। दूसरा, दत्तक पुत्र को विधवा माता संपत्ति से विमुख न करे; इसी प्रकार दत्तक पुत्र, अपनी विधवा माता (दत्तक माता) की संपत्ति को न छीन ले। इसके लिए यह कानून बनाना आवश्यक है।

इस बिल में पिता की संपत्ति पुत्रियों को भी पुत्रों समान भाग देने की बात कही गई है, जिसका साक्ष्य मिताक्षरा व दायभाग शाखाओं में भी मिलता है, जहाँ पुत्री को भी उत्तराधिकारी माना गया है। हिंदू उत्तराधिकारियों को कई श्रेणियों में बांटा जा सकता हैं जिसमें सबसे प्रथम है संधन श्रेणी (ब्वउचंबज ैमतपमे), उसके बाद सपिण्डा, समानदक्ष, आत्मा बंधु, पितृ बंधु, आदि की गणना होती है।

मिताक्षरा व दायभाग दोनों शाखाओं में पुत्री को संधन श्रेणी (ब्वउचंबज ैमतपमे) के अन्तर्गत रखा गया है, जो कि एक मिश्रित श्रेणी है मिताक्षरा व दायभाग में उत्तराधिकार में एक प्रमुख अंतर है। दायभाग में उत्तराधिकार, महिला के तत्व दान (व्इसंजपवद) की क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाता है। दायभाग, पुत्रियों की स्थिति को ध्यान में रखकर नियम बनाता है, जैसे पुत्री यदि विवाहित है व उसका पुत्र है, या पुत्री विवाहित है मगर पुत्र नहीं है या पुत्री अविवाहित है। यहाँ पुत्र वाली विवाहित पुत्री को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि उसका पुत्र दान की क्षमता रखता है। इसी क्रम में अविवाहित पुत्री सबसे पीछे क्रम में रहती है।

इस दृष्टि से यह बिल संघन श्रेणी में शामिल महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए पुत्री को पुत्र एवं विधवा (पुत्र, पौत्र एवं पौत्र की विधवा) के समकक्ष उत्तराधिकारी बनाता है।

मिताक्षरा कानून के अन्तर्गत कोई भी महिला संपत्ति के किसी भी प्रकार के भाग की पात्र नहीं थी; लेकिन 1937 के कानून के द्वारा विधवा को उत्तराधिकारी में शामिल किया गया, लेकिन उस समय भी पुत्री को उसी स्तर पर उस श्रेणी में शामिल नहीं किया गया था, जिसे इस बिल के द्वारा लाने का प्रयास किया जा सकता है।

प्रारंभिक बिल में पुत्री के भाग को आधा रखा गया था, जिसे चयन समिति ने संशोधित करके पुत्र के समान कर दिया।

सामान्यत: यह प्रश्न किया जा रहा था कि पुत्री को हिस्सा देने से परिवार विघटित हो सकता है। अंबेडकर का तर्क था कि यदि किसी व्यक्ति के 12 बेटे व एक बेटी है, तो उसकी

मृत्यु के बाद, उसकी संपत्ति के 12 हिस्सों के स्थान पर, यदि 13 हिस्से हो गये तो परिवार कैसे टूटेगा।

28 फरवरी 1949 को सदन की चर्चा में श्री एच.वी. कामथ का कहना था कि स्त्री व पुरुष बराबर नहीं है तथा जो स्त्रियां पुरुषों की तरह व्यवहार करती है वह उचित नहीं है।

बाबू रामनारायण सिंह ने हिंदू कोड बिल को घृणित बिल बताते हुए इस पर जनमत संग्रह करवाकर फैसला करने को कहा। उन्होंने सदन में इस बिल पर बहस को हिंदू धर्म के खिलाफ एक षडयंत्र मानते हुए कहा कि यह सदन इस प्रकार के प्रावधान के लिए क्षमतावान नहीं है।

1 मार्च 1949 को हुई विधायी चर्चा में श्री जी. दुर्गाबाई ने बिल को अपना समर्थन दिया तथा बी.एन. राऊ तथा उनके साथियों के प्रति भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह बिल रूढ़िवादी हिंदू समाज पर किसी प्रकार भी बाध्यकारी नहीं थी। यह सिर्फ स्त्री व पुरुषों को स्वतंत्रता पूर्ण जीवन जीने की संकल्पना थी, जिसमें पुराने तौर-तरीकों में कोई कांट छांट नहीं की जा रही थी।

पं० लक्ष्मीकांत मित्रा ने इस बिल का विरोध यह कहते हुए कहा कि जब सदन नीति-निर्देशक तत्वों को पास कर चुका था, तो पृथक् हिंदू कोड बिल की आवश्यकता नहीं थी।

पं० मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने भी बिल के विरोध में अपना मत रखा कि यह बिल विवादास्पद था, तथा इसे लाने के लिए सही प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया गया। उनका मानना था कि जनता इस बिल के खिलाफ थी।

श्री एच.वी. पतासकर ने कहा कि देश अभी अस्थिरता के माहौल में है, रोटी कपड़ा इत्यादि से जूझ रहा है; शरणार्थी की समस्या को भी सुलझाने की प्राथमिकता है; अतः हिंदू कोड जैसे बिल के लिए जल्दबाजी ठीक नहीं है। सिविल मैरीज ऐक्ट के अन्तर्गत कोई भी दो हिंदू व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति के हो, विवाह कर सकते हैं।

श्री कृष्णचप्द्र शर्मा ने बिल का समर्थन किया और कहा कि जड़ हो चुकी वस्तु के विकास के लिये परिवर्तन आवश्यक है। श्री ए. करुणाकर मेनन ने बिल को अपना समर्थन दिया, लेकिन बिल को और ज्यादा मातृ प्रधान बनाने की बात की, जो कि मरुमखयट्म विधि में पाई जाती है।

श्रीमति कमला चौधरी ने बिल को समर्थन देते हुए कहा कि चाहे लोग धर्म, संस्कृति के नाम पर इसका विरोध कर रहे हैं, परन्तु हम महिलाओं के लिए यह रामबाण है।

14 दिसंबर 1949 को श्री वी.आई. मुनीस्वामी पिल्लई ने बिल का समर्थन किया तथा कहा कि जब यह सदन संविधान का निर्माण कर सकता है तो कोड का क्यों नहीं। उनका कहना था कि हमें सामान्य नागरिक संहिता की ओर बढ़ना चाहिए;

ओ.वी. अलैसगन ने डॉ० भीमराव अंबेडकर पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने संविधान निर्माण में योगदान दिया है, अब वे इस बिल को पास करवाकर इसका श्रेय लेना चाहते है तथा डॉ० अंबेडकर की अभिलाषा पुराने ऋषियों जैसे मनु याज्ञवलक्य आदि विधि निर्माताओं को पीछे छोड़ने की है।

श्री ओ. वी. अलगेसन ने कहा कि बिल को समर्थन देने वालों ने यदि कुछ दिन और प्रतीक्षा की तो मालाबार के समान सर्वत्र मातृसत्तात्मक कुटुंब पद्धति लागू हो जाएगी।

श्रीमती जयाश्री ने कहा कि अभी हमारा समाज इस कोड के लिए तैयार नहीं है। उनका श्री मुकर्जी से प्रश्न था कि क्या सच में समाज को सुधार की आवश्यकता नहीं है। श्रीमती जयाश्री ने कहा कि हमें पत्रिका हरिजन में के. मूशरुवाला लेख पढ़ना चाहिए कि हमारा समाज महिलाओं से कैसा व्यवहार किया जाता है। इसी प्रकार गरीब महिलाओं की स्थिति कितनी खराब है। हम हिंदू समाज को सनातन कहते हैं। जिसका अर्थ है सदा नूतन अर्थात् परिवतनशील। यदि समाज में परिवर्तन नहीं होगा, तो उसमें सड़न हो जाएगी।

श्री रामलिंगन चेट्टियार ने कहा कि कई प्रांतीय सरकारों ने एकलविवाह तथा तलाक के लिए पहले से कानून बने हुए थे, इसलिए इस धारा की आवश्यकता नहीं थी।

मुस्लिम धर्म के अनुयायी, श्री ख्वाजा इनायत उल्ला का कहना था कि जो कि हिंदू विधि पर बोलना व हस्तक्षेप करना उनके लिए उचित नहीं था। सभी के लिए समान कानून बनाये जा सकते हैं। यद्यपि मुसलमानों का यह दृष्टिकोण रहा है कि उनके कानून किसी व्यक्ति ने नहीं अल्लाह ने बनाए हैं, इसलिए किसी व्यक्ति व सरकार को उसमें हस्तक्षेप करने का भी हक नहीं है, तथापि वे किसी सामाजिक व आर्थिक कानूनीकरण के विराध में नहीं थे।

कुमारी पद्मजा नायडू ने इस बिल को अपना पूरा-पूरा समर्थन देते हुए कहा कि हिंदू समाज लंबे समय से ऐसे प्रयास प्रतीक्षा कर रहा है।

डॉ० अंबेडकर ने स्पष्ट किया कि चूंकि विवाह व तलाक के प्रावधान कुछ ही राज्यों में है, जिससे कानूनों को दुरुप्रयोग किया जा सकता है, अत: एक ही प्रकार का कोड सब जगह लागू होना चाहिए।

26 सितम्बर 1951 को तत्कालिक प्रधानमंत्री ने इस बिल को वापस लेने तथा इसे अगले सत्र में पास करने को कहा। जिससे नाराज होकर 27 सितम्बर 1951 को डॉ० अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। त्यागपत्र देने के कई कारणों में से सबसे बड़ा कारण हिंदू कोड बिल का पास न होना था। जिसे उन्होंने हिंदु कोड बिल की हत्या बताया।

संदर्भ

1. राजगोपाल, जी.आर., (1975), द स्टोरी ऑफ हिंदू कोड, जर्नल ऑफ द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, वाल्यूम 1, 4, भारत विधि संस्थान।
2. संवैधानिक सभा (विद्यार्थी वाद-विवाद) सरकारी रिपोर्ट, खंड 1
3. संसदीय वाद-विवाद, लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली, खंड-टप्प्प, भाग-प्प
4. हिंदू, लॉ समिति को भेजे गए लिखित दस्तावेज
5. विद्यावाचस्पति, सोहनलाल शास्त्री, (2018), हिंदू कोड बिल और डॉ. अम्बेडकर, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली
6. हिंदू कोड बिल तथा उसका उद्देश्य - भारत सरकार, 1949
7. मून, वंसत (1989), अंबेडर बी.आर. रायटिंग्स एंड स्पीचीज, एडुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, वाल्यूम 14

JOURNAL OF LEGAL STUDIES, POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH